शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 04.10.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा सूचना के ढाई घण्टे के अन्दर हत्या के अपराधी को डण्डा(आलाकत्ल) के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे अभियुक्तो के सत्यापन व अवैध हथियार के दुरूपयोग व बिक्री को रोकने हेतु सघन अभियान के क्रम मे थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा सूचना के ढाई घण्टे के अन्दर हत्या के अपराधी को गिरफ्तार कर डण्डा(आलाकत्ल) किया बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.10.2024 को वादी प्रमोद कुमार पुत्र रामभरोसे नि0 ग्राम नगला ज0 हरना थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर के द्वारा थाना पर लिखित तहरीर के आधार पर रामप्रताप पुत्र नामालूम नि0 मो0 हाल नि0 जेवा रोड लकपेडा के सामने थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर के द्वारा सुरेन्द्र कुमार मल्होत्रा की एजेंसी भवानी ट्रेक्टर्स पर नये ट्रेक्टर की बिक्री होने पर इनाम लेने को लेकर प्रार्थी के भाई धनपाल पुत्र रामभरोसे निवासी ग्राम नगला ज0 हरना थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर को जान से मारने की नियत से नाक पर डण्डा मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान द्वारा स्वंय ग्रहण की गयी। उक्त घटना के क्रम में श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त रामप्रताप शर्मा उपरोक्त को नाहिल निगोही लिंक रोड़ से समय करीब 19.55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त डण्डा(आलाकत्ल) बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु रवाना किया जा रहा हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि मृतक एवं अभियुक्त भवानी ट्रेक्टर एजेन्सी पर मेकेनिक थे जब कोई ग्राहक नया ट्रेक्टर खरीदता था यह लोग ट्रेक्टर तैयार करते थे ग्राहक ईनाम के तौर पर ट्रेक्टर तैयार करने वाले मेकेनिक को स्वेच्छा अनुसार कुछ पैसे दे देते हैं पहला नवरात्र होने के कारण दो ट्रेक्टर बिक्री के लिए तैयार किये गये थे उनके खरीदार द्वारा दिये जाने वाले ईनाम के पैसे को लेकर अभियुक्त रामप्रताप व मृतक धनपाल के बीच विवाद हुआ जिसे मालिक द्वारा समझा बुझाकर समाप्त करा दिया गया था धनपाल एजेन्सी से गोदाम पर चला गया था। लेकिन विवाद मे धनपाल द्वारा रामप्रताप को कही गयी बातो से रामप्रताप अत्यधिक आहत हो गया। इसी कारण से अभियुक्त रामप्रताप अपनी मोटरसाईकिल से डण्डा लेकर गोदाम पर ही पहुँच गया और इसी खुन्नस मे डण्डे से धनपाल के नाक पर जोरदार वार कर दिया जिससे उसके नाक व मुँह से अत्यधिक खून बहने लगा अभियुक्त मौके से भाग गया। घटनास्थल पर मौजूद दूसरे मेकेनिक रविन्द्र एवं रामू पाल द्वारा मालिक को फोन किया गया तत्काल धनपाल को गाड़ी मे डालकर अस्पताल ले गये जहाँ डाक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रामप्रताप शर्मा पुत्र भगवानसरन शर्मा हाल निवासी मो0 काशीराम नगर कालोनी कस्बा व थाना पुवायां शाहजहांपुर मूल निवासी गुलौली थाना पुवायां शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 670/2024 धारा 103 (1) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल (एक अदद डण्डा जिस पर खून लगा है) बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
3. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र राणा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
4. का0 1300 विपुल मलिक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
5. का0 1870 बिजेन्द्र सिह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
6. का0 2338 गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर